झारखण्ड लोक सेवा आयोग,
सर्कुलर रोड, राँची

प्रेस विज्ञप्ति

खान एवं भूतत्व विभागान्तर्गत विज्ञान पदाधिकारी के पद पर बैकलॉग नियुक्ति (विज्ञापन संख्या–03/2017) के संबंध में आवश्यक सूचना।

खान एवं भूतत्व विभागान्तर्गत विज्ञान पदाधिकारी के पद पर बैकलॉग नियुक्ति (विज्ञापन संख्या–03/2017) हेतु लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन दिनांक–25.03.2021 को एवं साक्षात्कार दिनांक–26.03.2021 को निर्धारित है जिसके संबंध में पूर्ण विवरणी आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर अपलोड कर दी गई है।

2. साक्षात्कार हेतु औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थी निर्धारित कार्यक्रमानुसार अभिलेख सत्यापन एवं साक्षात्कार हेतु पूर्वाहन–10:00 बजे तक आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

3. अभिलेख सत्यापन एवं साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र (Call letter) डाक द्वारा नहीं भेजे जायेंगे। औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थी आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध सूची के अनुसार दिनांक–22.03.2021 से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्म तिथि डालकर अभिलेख सत्यापन एवं साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र (e-Call Letter) डाउनलोड कर सकते हैं। बुलावा पत्र (e-Call Letter) डाउनलोड करने में कोई असुविधा होने पर आयोग के हेल्पलाईन नं0–+919431301419/+919431301636 पर कार्यदिवस में पूर्वाहन्–11:00 बजे से अपराहन्–5:00 बजे तक सम्पर्क कर सकते है।

4. अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के दौरान ऑनलाईन आवेदन में अंकित प्रविष्टि एवं तदनुसार समर्पित प्रमाण पत्रों के अनुरूप निम्न प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति 02 (दो) प्रतियों में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :–

(i) आयु का प्रमाण (मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र तथा समकक्ष)।

(ii) मैट्रिक अथवा समकक्ष अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।

(iii) इंटरमीडिएट अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।

(iv) स्नातक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।

(v) स्नातकोत्तर अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र (किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भू–विज्ञान/भू–रसायन अथवा अप्लाइड भू–विज्ञान/भू–रसायन में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी ने स्नातकोत्तर डिग्री)।

(vi) अनुमंडल पदाधिकारी से अन्यून पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र ।

(vii) सक्षम प्राधिकारी से निर्गत निःशक्तता (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) प्रमाण पत्र।

(viii) जिस संस्थान में उसने अंतिम अध्ययन किया है उसके प्रधान/नियोजक से प्राप्त चरित्र एवं आचरण प्रमाण पत्र।

(ix) किसी निबंधित चिकित्सक से प्राप्त स्वास्थ्य तथा आरोग्य (फिटनेस) का प्रारंभिक प्रमाण पत्र।

(x) दो पासपोर्ट साईज का रंगीन अद्यतन फोटोग्राफ।

(xi) पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड।

5. अभिलेख सत्यापन के दौरान उक्त कंडिकाओं में उल्लेखित सभी प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत नहीं करने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

6. अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। अभिलेख सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के आधार पर साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थिता निर्धारित की जायेगी।

7. अभिलेख सत्यापन/साक्षात्कार कार्यक्रम हेतु निर्धारित समयानुसार अभ्यर्थियों को आयोग परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। सभी अभ्यर्थी Covid-19 को देखते हुए सरकार द्वारा निर्गत सुरक्षा संबंधी दिशा–निर्देश यथा मास्क पहनना, हैंडगलव्स पहनना, हैंडसेनिटाइज करना एवं सामाजिक दूरी आदि का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही हैंडसेनीटाइजर की छोटी शीशी अपने उपयोग हेतु साथ में रखेंगे।

8. यह प्रेस विज्ञप्ति आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर भी उपलब्ध है।

ह0/–
परीक्षा नियंत्रक,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग,राँची।